सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 72 राँची, मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-01/2000-12--लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दि-31.01.2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सुचना के लिए प्रकाशित किया जाता है |

झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022

(झारखंड अधिनियम- 02, 2023)

<u>विषय सूची</u>

खण्ड ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**

2. **झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में प्रतिस्थापन ।**

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

>kj[k.M vf/kfu;e 9@2001 dh /kkjk&4 dk l 'kk/ku

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रवृत माना जायेगा ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-**II** के अन्तर्गत धारा-4 में 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये (झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) के स्थान पर ‘‘1200 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72 -- 50